डॉ॰ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पुराने वाहनों की नीलामी सम्बन्धित दिशा–निर्देश

1. पुराने वाहनों की नीलामी में शासन के नियम एवं दिशा निर्देशों का पालन आवश्यक होगा। जिनको क्रेता द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
2. प्रतिभूति राशि रू. 10,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, डॉ॰ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के पक्ष में देय हो, नीलामी के दो दिन पूर्व विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में नीलामी में कोई भी क्रेता भाग नहीं ले सकेगा।
3. नीलामी के बाद क्रय किये गये वाहन को किसी भी दशा में वापस नहीं लिया जायेगा।
4. नीलामी के बाद क्रेता को वाली स्वीकार होने की राशि तत्काल विश्वविद्यालय के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में क्रेता का नीलामी आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी जो किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी। उक्त वाहनों की बोली तत्समय पुनः लगायी जायेगी और द्वितीय क्रेता को वाहन विक्रय कर दिया जायेगा।
5. किसी भी वाद–विवाद के लिए न्याय क्षेत्र आगरा रहेगा।
6. यदि कोई क्रेता वाहन क्रय करने के बाद एक सप्ताह के अन्दर वाहनों को नहीं ले जाता है तो उसको बिना किसी पूर्व सूचना के उसका विक्रय अनुबन्ध स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। उक्त वाहनों की नीलामी किसी अन्य के पक्ष में की जायेगी और पूर्व क्रेता का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. किसी भी क्रेता को एक सप्ताह के अन्दर वाहन को ले जाना अनिवार्य होगा। विषम परिस्थितियों में यदि वाहन क्रेता और अधिक समय की मांग करता है। अगर उसे समय दे दिया जाता है तो क्रय वाहन में किसी भी तरह की क्षति, टूट–फूट एवं चोरी आदि की देखभाल की जिम्मेदारी वाहन क्रेता की ही होगी।
8. वाहन क्रय करने के बाद यदि किसी क्रेता द्वारा वाहन को न लेने का आवेदन दिया जाता है तो वह स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. नीलामी वाहनों की बोली के समय अधिकतम बोली स्वीकार कर्ता के पक्ष में बोली स्वीकार की जायेगी।
10. नीलाम वाहन की नीलामी स्वीकार, अस्वीकार करने का अधिकार विश्वविद्यालय द्वारा गठित नीलामी समिति का होगा।
11. किसी वाहन के मूल पत्रजात न उपलब्ध होने पर पत्रजात की द्वितीय प्रति वाहन क्रेता को अपने खर्च पर आर0टी0ओ0 कार्यालय से लेनी होगी।
12. विक्रित वाहन को चलाने का अधिकार क्रेता का स्वंय का होगा। विश्वविद्यालय की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्योंकि वाहन को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आगरा द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किया जा चुका है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

13. नीलामी में भाग लेने वाले आवेदनों में से जिनके पक्ष में बोली स्वीकार नहीं होगी उनकी प्रतिभूति राशि वापिस की जायेगी।
14. वाहन जहाँ होगा जैसी स्थिति में होगा उसे बोली स्थल पर नहीं लाया जायेगा क्रेता/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी से पूर्व वाहन को देखने का अधिकार रहेगा। परन्तु यदि वाहन चालू नहीं होता है तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा चालू कराकर कदाचित नहीं दिखाया जायेगा। क्रेता चाहें तो वाहन को वाहन जहाँ खड़ा होगा उसके 20 फीट की दूरी तक ट्रायल लेने की छूट होगी।
15. वाहन नीलामी के समय वाहन का जो कागजात/पत्रजात उपलब्ध होगा और ऐसी स्थिति में होगा वहीं क्रेता को उपलब्ध कराया जायेगा। उसका न तो शुद्धीकरण कराया जायेगा नहीं उसका नवीनीकरण कराया जायेगा।
16. वाहन की नीलामी पूल सिस्टम से नहीं की जायेगी सिंगल व्यक्ति सिस्टम से की जायेगी और किसी एक व्यक्ति के पक्ष में ही बोली स्वीकार की जायेगी।
17. नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकेगी और व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय के स्टोर विभाग से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकेगी।
18. यदि कोई आवेदन नीलामी सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा का छायाप्रति प्राप्त करना चाहता हो तो वह विश्वविद्यालय के स्टोर विभाग से छायाप्रति की कीमत जमा कर प्राप्त कर सकेगा। अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकेगा।

12/8/2018